न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–411/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

कल्याण कोनगाड़ी..आवेदक/विक्रेता

बनाम

आतेन जोजो..विपक्षी/क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
04.12.2023	**आदेश** आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती कल्याण कोनगाड़ी पिता/पति स्व0 ओवेद कोनगाड़ी ग्राम–उड़ीकेल, विश्रामपुर, थाना–रनियाँ, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है। भूमि का विवरण ग्राम: उड़ीकेल; थाना नं0: 85; खाता नं0: 59; खेसरा सं0: 4845; रकबा(एकड़ में): 0.14½	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
उड़ीकेल	85	59	4845	0.14½

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती कल्याण कोनगाड़ी पिता/पति स्व0 ओवेद कोनगाड़ी ग्राम–उड़ीकेल, विश्रामपुर, थाना–रनियाँ, जिला–खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती आतेन जोजो पिता/पति रोशन कोनगाड़ी ग्राम–उड़ीकेल, टोला विश्रामपुर, थाना–रनियाँ, जिला–खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0138606662 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 621 दिनांक 26.10.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, तोरपा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका के पूर्वजों की खतियानी भूमि है, खतियानी रैयत का नाम चोमगे मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी।। रैयतों में से एक ओवेद कोनगाड़ी के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी।। के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 59 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने

हेतु बिक्री करना चाहते है।

अंचल अधिकारी, तोरपा के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 200 दिनांक 06.10.2023 के साथ अंचल अधिकारी, बानो के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2022/55957 दिनांक 21.02.2022 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHRC/2021/249962 दिनांक 26.08.2021 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया हैं।

अतः अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 621 दिनांक 06.10.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती कल्याण कोनगाड़ी पिता/पति स्व0 ओबेद कोनगाड़ी ग्राम–उड़ीकेल, विश्रामपुर, थाना–रनियाँ, जिला–खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती आतेन जोजो पिता/पति रोशन कोनगाड़ी ग्राम–उड़ीकेल, टोला विश्रामपुर, थाना–रनियाँ, जिला–खूँटी के साथ ग्राम उड़ीकेल के खाता सं0 59 खेसरा संख्या 4845 रकबा 0.14½ एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2023.12.19 12:16:29 +05:30
Location: 192.168.1.103